लोक निर्माण अनुभाग-

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या- 09 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
9-क-क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बताएगें कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2(प्र0प0), लोक निर्माण विभाग, हरदोई के पत्रांक-35/एम0आर0, दि0 18-06-2022 जो कि अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2(प्र0प0), लो0नि0वि0, हरदोई का पत्र दिनांक 18-06-2022 अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई वृत्त को प्रेषित किया गया है।
ख- यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या है?	उक्त पत्र निर्माण खण्ड-2(प्र0प0), लो0नि0वि0, हरदोई में कार्यरत श्री संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण किसी अन्य खण्ड में किये जाने की संस्तुति से सम्बन्धित है।
ग- उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?	उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
घ- उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हॉ।
ङ- यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

बृजेश सिंह
राज्य मंत्री।

विषयः- विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डॉ0 मानसिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तरालेख के सम्बन्ध में।

क्रमांक	तिथि	कृत कार्यवाही
1	18.06.2022	(i) श्री श्याम प्रकाश, मा0 विधायक, 157 गोपामऊ हरदोई के पत्र दिनांक 18-06-2022 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक निर्माण खण्ड-2, प्र0प0 लो0नि0वि0, हरदोई के विरूद्ध शिकायती पत्र में उल्लेख किया यह पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड में कार्य करने योग्य नहीं हैं। इनका इस खण्ड से स्थानान्तरण कर दिया जाय। (ii) तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2, प्र0प0, लो0नि0वि0, हरदोई ने अपने कार्यालय के पत्रांक-35/एम0आर0 दि0 18-06-2022 द्वारा इनका स्थानान्तरण पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड से अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा संस्तुति सहित किसी अन्य खण्ड में किये जाने हेतु अग्रसारित किया गया।
2	14-07-2022	वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2022-23 के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को 10 प्रतिशत ही स्थानान्तरण किया जाना था। 10 प्रतिशत में वरिष्ठता में इनका नाम न आने के कारण इनका प्रकरण स्थानान्तरण हेतु मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-1767सी0जेड0/6सी0जेड0/01/2022, दि0 14-07-2022 द्वारा मुख्यालय-2 को प्रेषित कर दिया गया।
3	20-07-2022	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को वापस कर दिया एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थानान्तरण सत्र की समाप्ति पर प्रकरण इस कार्यालय को सन्दर्भित किये जाने का क्या औचित्य है।
4	03.09.2022	तत्पश्चात मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-2247 सी0जेड0/6सी0जेड0-01/2022, दि0 03.09.2022 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर अन्य खण्ड में शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार निर्णय लेकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
5	14.09.2022	पुनः मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-2391 सी0 जेड0/6सी0जेड0-01/2022, दि0 14.09.2022 द्वारा निजीहित/प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया एवं अवगत कराया गया कि 10 प्रतिशत स्थानान्तरण ही क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा किया जाना था एवं 10 प्रतिशत के ऊपर के स्थानान्तरण नीति सत्र 2022-23 के अनुसार उच्च स्तर से किया जाना ही उचित होगा।

प्रशासनिक अधिकारी (म0क्षे0)
लो0नि0वि0,
लखनऊ

15/9/22
मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र),
लो0नि0वि0, लखनऊ